

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1540]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 2015/श्रावण 01, 1937

No. 1540]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 23, 2015/SHRAVANA 01, 1937

रेल मंत्रालय

(रेल बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2015

का.आ. 2015(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, बिहार राज्य के गया जिले में विशेष रेल परियोजना, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, प्रभारी भूमि अर्जन अधिकारी, गया, बिहार प्रदेश को लिखित में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

बिहार राज्य के गया जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि की संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण

जिले का नाम : गया

अंचल : फतेहपुर

क्रम संख्या	मौजा का नाम/चादर नं.	रा. थाना नं.	प्लाट संख्या	अंश/कुल	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	मनहोना/चादर नं. 2	631	54	अंश	1545.20	0.155	0.382
			51	अंश	531.30	0.053	0.131
			1859	अंश	3867.50	0.387	0.955
			48	अंश	15534.50	1.553	3.837
			52	अंश	1396.00	0.140	0.345
			47	अंश	546.00	0.055	0.135
			46	अंश	2761.10	0.276	0.682
			45	अंश	521.20	0.052	0.129
			44	अंश	3973.50	0.397	0.981
			36	अंश	1130.00	0.113	0.279
			43	अंश	138.80	0.014	0.034
			42	अंश	430.50	0.043	0.106
			41	अंश	177.90	0.018	0.044
			39	अंश	1114.90	0.111	0.275
			37	अंश	1507.60	0.151	0.372
			34	अंश	1379.90	0.138	0.341
			33	अंश	1256.80	0.126	0.310
			28	अंश	2737.10	0.274	0.676
			27	अंश	2985.60	0.299	0.737
			50	अंश	731.40	0.073	0.181
			780	अंश	274.30	0.027	0.068
			1857	अंश	68.80	0.007	0.017
			781	अंश	1547.80	0.155	0.382
			797	अंश	1840.00	0.184	0.454
	मनहोना/चादर नं. 3		801	अंश	12022.20	1.202	2.969
			804	अंश	3205.80	0.321	0.792
			811	अंश	170.50	0.017	0.042

			810	अंश	1835.60	0.184	0.453
			809	अंश	665.50	0.067	0.164
			813	अंश	1859.60	0.186	0.459
			814	अंश	537.90	0.054	0.133
			815	अंश	272.50	0.027	0.067
(2)	तारो/चादर नं. 2	632	507	अंश	3133.80	0.313	0.774
			521	अंश	29.00	0.029	0.073
			524	अंश	3057.30	0.306	0.755
			526	अंश	3019.20	0.302	0.746
			528	अंश	1306.40	0.131	0.323
			529	अंश	173.30	0.017	0.043
			530	अंश	443.70	0.044	0.110
			531	अंश	168.10	0.017	0.042
			532	अंश	418.50	0.042	0.103
			533	अंश	617.50	0.062	0.153
			534	अंश	330.30	0.033	0.082
			535	अंश	465.90	0.047	0.115
			112	अंश	5276.00	0.528	1.303
			539	अंश	2636.60	0.264	0.651
			540	अंश	335.60	0.034	0.083
			541	अंश	2184.80	0.218	0.540
			542	अंश	2004.80	0.200	0.495
			544	अंश	20766.70	2.077	5.129
			633	अंश	14310.50	1.431	3.535
			632	अंश	12625.60	1.263	3.119
(3)	रुई दमना	634	1	अंश	101193.90	10.119	24.995
			2	अंश	834.30	0.083	0.206
(4)	कठौतिया केवाल	633	153	अंश	933.70	0.093	0.231
			749	अंश	5196.10	0.520	1.283
			748	अंश	21233.00	2.123	5.245
			740	अंश	5373.00	0.537	1.327

[फाइल सं. 2013/एल.एम.एल./12/7/ईस्टर्न कॉरीडोर/635]

अचल जैन, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं-1)

MINISTRY OF RAILWAY**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd July, 2015

S.O. 2015(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the Schedule annexed hereto, is required for the execution of the Special Railway Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor District Gaya in the State of Bihar, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within Thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Incharge Land Acquisition Officer, Gaya, Bihar in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the proposed Special Railway Project of Eastern Dedicated Freight Corridor in District Gaya, in the State of Bihar.

Name of the District—Gaya**Anchal-Fatehpur**

Sl. No.	Name of Mouza/Chadar number	R. Thana number	Plot number	Part/Full	Area (in Sq. m)	Area (in Hect.)	Area (in Acre)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	MANHONNA/ CHADAR No.- 2	631	54	PART	1545.20	0.155	0.382
			51	PART	531.30	0.053	0.131
			1859	PART	3867.50	0.387	0.955
			48	PART	15534.50	1.553	3.837
			52	PART	1396.00	0.140	0.345
			47	PART	546.00	0.055	0.135
			46	PART	2761.10	0.276	0.682
			45	PART	521.20	0.052	0.129
			44	PART	3973.50	0.397	0.981
			36	PART	1130.00	0.113	0.279
			43	PART	138.80	0.014	0.034
			42	PART	430.50	0.043	0.106
			41	PART	177.90	0.018	0.044
			39	PART	1114.90	0.111	0.275
			37	PART	1507.60	0.151	0.372
			34	PART	1379.90	0.138	0.341
			33	PART	1256.80	0.126	0.310
			28	PART	2737.10	0.274	0.676

	MANHONNA/ CHADAR No.- 3		27	PART	2985.60	0.299	0.737
			50	PART	731.40	0.073	0.181
			780	PART	274.30	0.027	0.068
			1857	PART	68.80	0.007	0.017
			781	PART	1547.80	0.155	0.382
			797	PART	1840.00	0.184	0.454
			801	PART	12022.20	1.202	2.969
			804	PART	3205.80	0.321	0.792
			811	PART	170.50	0.017	0.042
			810	PART	1835.60	0.184	0.453
			809	PART	665.50	0.067	0.164
			813	PART	1859.60	0.186	0.459
			814	PART	537.90	0.054	0.133
			815	PART	272.50	0.027	0.067
(2)	TARO/CHADAR No.-2	632	507	PART	3133.80	0.313	0.774
			521	PART	29.00	0.029	0.073
			524	PART	3057.30	0.306	0.755
			526	PART	3019.20	0.302	0.746
			528	PART	1306.40	0.131	0.323
			529	PART	173.30	0.017	0.043
			530	PART	443.70	0.044	0.110
			531	PART	168.10	0.017	0.042
			532	PART	418.50	0.042	0.103
			533	PART	617.50	0.062	0.153
			534	PART	330.30	0.033	0.082
			535	PART	465.90	0.047	0.115
			112	PART	5276.00	0.528	1.303
			539	PART	2636.60	0.264	0.651
			540	PART	335.60	0.034	0.083
			541	PART	2184.80	0.218	0.540
			542	PART	2004.80	0.200	0.495
			544	PART	20766.70	2.077	5.129
			633	PART	14310.50	1.431	3.535
			632	PART	12625.60	1.263	3.119
(3)	RUI DHAMNA	634	1	PART	101193.90	10.119	24.995
			2	PART	834.30	0.083	0.206
(4)	KATHAUTIYA KEWAL	633	153	PART	933.70	0.093	0.231
			749	PART	5196.10	0.520	1.283
			748	PART	21233.00	2.123	5.245
			740	PART	5373.00	0.537	1.327

[F. No. 2013/LML/12/7/Eastern Corridor/635]

ACHAL JAIN, Executive Director (Land and Amenities-1)